पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्ल्यू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-18.04.2024

दिनांक 17/18.04.2024 को थाना चौक 03, महानगर 05, सुशान्त गोल्फ सिटी 01, काकोरी 01, गोमतीनगर 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्ल्यू0 में थाना चौक 01, रहीमाबाद 03, मड़ियांव 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 तथा एन0बी0डब्ल्यू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना काकोरी:- दिनांक-17.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री नवाब अहमद थाना काकोरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त गैंग लीडर 1.रंजीत यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम खालिसपुर मजरा घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष व गैंग सदस्य 2. कल्लू रावत पुत्र राज कुमार निवासी खालिसपुर मजरा घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष 3. प्रदीप कनौजिया पुत्र शिवलाल निवासी खालिसपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष 4.शिवा यादव उर्फ तन्नू पुत्र हरिशचन्द्र यादव निवासी घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष 5. अजय कुमार पुत्र रोशनलाल यादव निवासी घनश्यामपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध थाना काकोरी पर धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई। गैंग लीडर रंजीत यादव उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्तगण दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

सट्टा खेलते/ खिलवाते समय गिरफ्तार।

थाना मानकनगर:-दिनांक 17.04.2024 को एस0आई0 श्री अरविन्द कुमार थाना मानकनगर द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-मोहित पुत्र श्री शिशुपाल निवासी हिम्मतनगर थाना अटरिया जिला सीतापुर हाल पता लल्लन की बिल्डिगं लस्सी वाली गली रामप्रसाद खेड़ा थाना मानकनगर लखनऊ को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान यूनियन बैंक के सामने पूरननगर ढाल के पास थाना मानकनगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड़ में 10 अदद सट्टा पर्ची, 1560/-रूपये नगद, 01 अदद पेन व जामातलाशी में 730/-रूपये बरामद कर थाना मानकनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी

3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना अलीगंज:- दिनांक-17.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार तिवारी थाना अलीगंज द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त गैंग लीडर 1. शिवेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री इशेन्द्र सिंह चौहान वर्तमान पता-645ए/644 जानकी बिहार कालोनी थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थाई पता-161 रामपुरी सिविल लाइन नियर हेड पोस्ट ऑफिस थाना कोतावाली जनपद उन्नाव उम्र 40 वर्ष, 2. सुधीर सिंह चौहान पुत्र श्री भारत सिंह वर्तमान नि0 म0नं0 703 मोहल्ला बन्धु हार सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद उन्नाव उम्र 42 वर्ष, 3.हेमन्त सिंह पुत्र अतेन्द्र बहादुर सिंह वर्तमान पता- जानकी बिहार कालोनी जानकीपुरम एक्सटेंसन थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थाई पता- ग्राम नगरी पो0 हकीमपुर थाना अखण्ड नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध थाना अलीगंज पर 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्तगण दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना मड़ियांव:- दिनांक-18.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानंद मिश्रा थाना मड़ियांव द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त गैंग लीडर 1. मो0 कलीम पुत्र मो0 शकील नि0 निकट त्रिकाल फैक्ट्री रहीमनगर डुडौली बड़ा खुदान थाना मडियांव लखनऊ मूलपता ग्राम बरौना सिधौली थाना संदना सीतापुर उम्र करीब 22 वर्ष, 2. सक्रिय सदस्य अभियुक्त इनायत अली पुत्र शमशेर अली निवासी छोटी मस्जिद के पीछे गौसनगर रहीमनगर डुडौली निकट रामलीला मैदान नौबस्ता थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, के विरुद्ध थाना मड़ियांव पर 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। गैंग लीडर मो0 कलीम उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्तगण दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना मड़ियांव:- दिनांक-17.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानंद मिश्रा थाना मड़ियांव द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त गैंग लीडर 1.कौशल राजपूत पुत्र रामचन्द्र राजपूत निवासी मुन्नालाल खेडा थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, गैंग लीडर 2.विशाल लोधी उर्फ विशाल राजपूत उर्फ छोटू पुत्र श्री किशन निवासी मुन्नालाल खेड़ा काकोरी लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष, 3.अभियुक्त सोनू राजपूत पुत्र गजराज राजपूत निवासी मुन्नालाल खेड़ा दुबग्गा लखनऊ उम्र 19 वर्ष(सक्रिय सदस्य), 4.अभियुक्त अरुण राजपूत पुत्र स्व0 बाबू लाल निवासी शीतल खेड़ा दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष (सक्रिय सदस्य), के विरुद्ध थाना मड़ियांव पर 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। गैंग लीडर कौशल राजपूत उपरोक्त व विशाल लोधी उर्फ विशाल राजपूत उर्फ छोटू उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्तगण दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज:- आज दिनांक 18.04.2024 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती फूल कुमारी पत्नी उमेश निवासी इन्दा नगर मकान नम्बर 310, थाना गाजीपुर, जिला लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वादिनी अपने घर से अपने मायके के लिए जाने हेतु अपने पिता मैकुलाल पुत्र स्व जंगली प्रसाद निवासी पारा कला, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली के साथ वादिनी ने अपने साथ एक लेडीज बैग, एक दूसरा बैग कपड़ा आदि रखने वाली तथा एक झोला जिसमें कपड़ा आदि, कुछ सामान रखा था। दिनांक 05.04.2024 को समय लगभग 09:45 बजे दिन में वादिनी लखनऊ से सुल्तानपुर रोड पर ग्राम अहमामऊ में स्थित सनी मन्दिर के पास गाड़ी जाने हेतु इन्तजार करने हेतु खड़ी थी। तभी वही पर एक ईको वाहन गाड़ी में पूर्व से 02 अज्ञात औरतें, 02 अन्य अज्ञात व्यक्ति तथा एक ड्राइवर चला रहा था। सभी व्यक्ति उक्त गाड़ी के ड्राईवर ही थे, जिनको वादिनी समझ नहीं पायी। उन्होंने वादिनी के पिता को ड्राईवर के बगल में अगली सीट पर तथा वादिनी को बैग तथा झोला के साथ बीच की सीटों पर बैठाया। सभी अज्ञात व्यक्तियों से ड्राईवर से बातें होती रही किन्तु उनकी बातों को वादिनी समझ नही पायी। जब वादिनी ग्राम कबीरपुर कोतवाली गोसाईगंज, जिला लखनऊ पहुंची, तभी इसके बाद उक्त गाड़ी में बैठी औरतें तथा आदमियों ने सभी ने मिलकर वादिनी की लेडीज बैग में रखे 01 मंगलसूत्र सोने का, 03 जोडी पायल चांदी की, छोटे बच्चे के हाथ के 01 जोड़ी कड़ा चांदी तथा 22,500/- रूपया (बाइस हजार पाँच सौ) कुल चोरी से निकाल कर वादिनी के बैग की चैन को किसी तरह से लक कर दिया। उक्त चोरी ग्राम कबीरपुर से गोसाईगंज, कोतवाली गोसाईगंज, जिला लखनऊ के बीच में हुई है। वादिनी तथा वादिनी के पिता दोनों को आगे न ले जाने मिट्टी हो जाने का बहान करके गाड़ी के ड्राईवर ने चेक पोस्ट सदरपुर, कोतवाली गोसाईगंज में दोनों को उक्त गाड़ी से उतार दिया और जल्दी से अपनी गाड़ी को लखनऊ की ओर मोड़ दिया। तब वादिनी ने किराया लेने को कहा तब ड्राईवर ने रूपया किराये के लेने से इन्कार किया और कहा कि मिट्टी हो गयी किराया नहीं लूंगा, यहां से दूसरी गाडी से चली जाओ। उसके चले जाने के बाद वादिनी ने जब अपनी बैग किसी तरह से खोलकर देखा तब उक्त अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही का जा रही है।**

थाना काकोरी:- आज दिनांक 18.04.2024 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.04.2024 को समय करीब 11.00 बजे दिन में जरिये डेल्टा सेट से सूचना मिली कि भल्लिया गांव के पास नहर के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए थाना काकोरी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचकर देखा कि एक युवक उम्र करीब 48 वर्ष का शव भल्लिया गांव के पास नहर के किनारे पड़ा हुआ है, शव के पास एक शीशी कीट नाशक की खाली पडी है। शव के मुहं से झाग निकली हुई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री प्रदीप कुमार यादव मो0 6307624879 थाना काकोरी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मो0 इरफान पुत्र अख्तर निवासी दोना थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष है, जिसकी शिनाख्त मो0 आदिल पुत्र स्व0 कलीम (मृतक का भतीजा) द्वारा की गई। परिजनों ने पूछताछ में बताया बताया कि मो0 इरफान उपरोक्त दिनांक 17.04.2024 को चौक क्षेत्र में अपनी दुकान का सामान लेने गये थे, देर रात तक इरफान वापस नही आए। मृतक की कपड़े पर छपाई करने की दुकान थी।